

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

पीठासीन अधिकारी : श्री सर्वेश्वर निम्बार्क आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 180/2025

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

1. उकाराम पुत्र जेरूपाराम जाति माली निवासी अमरसिंह की ढाणी तहसील सिणधरी
2. अध्यक्ष संत शिरोमणी सैनजी महाराज शिक्षा विकास समिति एड सिणधरी (जरिये सचिव)

1. तहसीलदार-सिणधरी, जिला-बालोतरा
2. शाखा प्रबन्धक, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान मू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :-

1. श्री पाबूराम बेनीवाल अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
2. नायब तहसीलदार (तहसील कार्यालय)राज.पैरोकार विप्रार्थी सं. 1 की ओर से उपस्थित। शेष एकतरफा।

आदेश

दिनांक- 19.02.2026


1.संक्षेप में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं,कि प्रार्थीगण संख्या 1 तक की खातेदारी का खेत खसरा संख्या 194 रकबा 23.1536 हैक्टेयर व प्रार्थीगण संख्या 2 की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 194/2 रकबा 0.1618 हैक्टेयर ग्राम एड अमरसिंह पटवार मण्डल एड सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में आया हुआ है। कि प्रार्थीगण संख्या 1 तक की खातेदारी का खेत खसरा संख्या 194 रकबा 23.1536 हैक्टेयर मे से 01-00 बीधा का बेचान जरिये रजिस्ट्री दिनांक 24.04.2013 को दस्तावेज संख्या 2013000814 से लिखमाराम पुत्र कुभाराम चैनाराम पुत्र मूलाराम अर्जुनराम पुत्र कलाराम को बेभान किया गया तथा उक्त बेचान के पश्चात लिखमाराम वगैरा ने दिनांक 08.02.2017 को जरिये बेचान दस्तावेज संख्या 201703081100107 से अध्यक्ष संत शिरोमणी सैनजी महाराज शिक्षा विकास समिति एड सिणधरी को बेचान कर दिया था। मूल खातेदार प्रार्थी संख्या 1 द्वारा बेचान के दौरान ग्राम एड अमरसिंह खसरा नम्बर 194 से बेचान के पश्चात नवसृजित खसरा नम्बर 194/2 कायम


उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

हुए। तथा बेचान मूल खसरा नम्बर 194 से 194/2 नवसृजित खसरा की तरमीन करते समय त्रुटिपूर्ण कर दी गई। प्रार्थीगण संख्या 2 की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 194/2 रकबा 0.1618 हैक्टेयर ग्राम एड अमरसिंह तरमीम मौके पर विद्यमान मौके अनुसार न होकर राजस्व कार्मिकों की भूल से विपरित स्थान खेत के दूसरे सेढे पर कर दी गई मौके पर कब्जा अंकित स्थान से बिलकूल विपरित कर गई जबकि प्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने के दोनो तरफ अपना खेत रखते हुऐ बीच भूमि का बेचान कर प्रार्थी संख्या 2 को कब्जा करवाया गया था। जिससे प्रार्थी संख्या 1 को अपने खेत में आने जाने की कोई समस्या न हो सके तथा प्रार्थीगण संख्या 2 के दोनो तरफ से ही अपने खातेदारी खेत 194 में सुविधानुसार उपयोग व उपभोग कर सके। प्रार्थी सं. 1 व प्रार्थी सं. 2 के खातेदारी खेत के बीच में भारी भिन्नता है इस प्रकार राजस्व रेकर्ड में तरमीम व मौके की स्थिति में भारी भिन्नता होने से दोनो पक्षकारों को असुविधा हो रही है। सभी प्रार्थीगण सहमत है तथा मौके अनुसार तरमीन करवाना चाहते है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार कर प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी का खेत खसरा संख्या 194 रकबा 23.1536 हैक्टेयर व प्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 194/2 रकबा 0.1618 हैक्टेयर ग्राम एड अमरसिंह की तरमीम संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट "अ" के अनुसार शुद्धिकरण किये जाने आदेश प्रदान करावें।

2 प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी सं. 01 की ओर से नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय) राज.पैरोकार उपस्थित हुए। विवादित भूमि की मौका जांच रिपोर्ट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई। शेष विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।


3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्य को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी संख्या 1 तक की खातेदारी का खेत खसरा संख्या 194 रकबा 23.1536 हैक्टेयर व प्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 194/2 रकबा 0.1618 हैक्टेयर ग्राम एड अमरसिंह पटवार मण्डल एड सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में आया हुआ है। कि प्रार्थीगण संख्या 1 तक की खातेदारी का खेत खसरा संख्या 194 रकबा 23.1536 हैक्टेयर मे से 01-00 बीधा का बेचान जरीये रजिस्ट्री दिनांक 24.04.2013 को दस्तावेज संख्या 2013000814 से लिखमाराम पुत्र कुभाराम चैनाराम पुत्र मूलाराम अर्जुनराम पुत्र कलाराम को बेचान किया गया तथा उक्त बेचाने के पश्चात लिखमाराम वगैरा ने दिनांक 08.02.2017 को जरीये बेचान दस्तावेज संख्या 201703081100107 से अध्यक्ष संत शिरोमणी सैनजी महाराज शिक्षा विकास समिति एड सिणधरी को बेचान कर दिया था। मूल खातेदार प्रार्थी संख्या 1 द्वारा बेचान के दौरान ग्राम एड अमरसिंह खसरा नम्बर 194 से बेचान के पश्चात नवसृजित खसरा नम्बर 194/2 कायम हुऐ। तथा बेचान मूल खसरा नम्बर 194 से 194/2 नवसृजित खसरा की तरमीन करते समय त्रुटिपूर्ण कर दी गई। प्रार्थीगण संख्या 2 की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 194/2 रकबा 0.1618 हैक्टेयर ग्राम एड अमरसिंह तरमीम मौके पर विद्यमान मौके अनुसार न होकर राजस्व कार्मिकों की भूल से विपरित स्थान खेत के दूसरे सेवे पर कर दी गई मौके पर कब्जा अंकित स्थान से बिलकूल विपरित कर गई जबकि प्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने के दोनो तरफ अपना खेत रखते हुऐ


उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

बीच भूमि का बेचान कर प्रार्थी संख्या 2 को कब्जा करवाया गया था। जिससे प्रार्थी संख्या 1 को अपने खेत में आने जाने की कोई समस्या न हो सके तथा प्रार्थी संख्या 2 के दोनो तरफ से ही अपने खातेदारी खेत 194 में सुविधानुसार उपयोग व उपभोग कर सके। प्रार्थी सं. 1 व प्रार्थी सं. 2 के खातेदारी खेत के बीच में भारी भिन्नता है इस प्रकार राजस्व रेकॉर्ड में तरमीम व मौके की स्थिति में भारी भिन्नता होने से दोनो पक्षकारों को असुविधा हो रही है। सभी प्रार्थीगण सहमत है तथा मौके अनुसार तरमीन करवाना चाहते है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार कर प्रार्थीगण संख्या 1 की खातेदारी का खेत खसरा संख्या 194 रकबा 23.1536 हैक्टेयर व प्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 194/2 रकबा 0.1618 हैक्टेयर ग्राम एड अमरसिंह की तरमीम संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट "अ" के अनुसार शुद्धिकरण किये जाने आदेश प्रदान करावें। साथ ही अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर कथन किया कि तहसीलदार सिणधरी ने अपनी मौका जांच रिपोर्ट में तरमीम दुरुस्ती करने की सिफारिश की गई है। अतः तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि की लटढा नक्शा में तरमीम दुरुस्ती करवाने का आदेश फरमावें।

4. विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार ने अपनी बहस में जाहिर किया, कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, दस्तावेजात एवं मौका जांच रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया गया कि प्रार्थी संख्या 1 तक की खातेदारी का खेत खसरा संख्या 194 रकबा 23.1536 हैक्टेयर व प्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 194/2 रकबा 0.1618 हैक्टेयर ग्राम एड अमरसिंह पटवार मण्डल एड सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में आया हुआ है। कि प्रार्थी संख्या 1 तक की खातेदारी का खेत खसरा संख्या 194 रकबा 23.1536 हैक्टेयर मे से 01-00 बीधा का बेचान जरीये रजिस्ट्री दिनांक 24.04.2013 को दस्तावेज संख्या 2013000814 से लिखमाराम पुत्र कुभाराम चैनाराम पुत्र मूलाराम अर्जुनराम पुत्र कलाराम को बेचान किया गया तथा उक्त बेचान के पश्चात लिखमाराम वगैरा ने दिनांक 08.02.2017 को जरीये बेचान दस्तावेज संख्या 201703081100107 से अध्यक्ष संत शिरोमणी सैनजी महाराज शिक्षा विकास समिति एड सिणधरी को बेचान कर दिया था। मूल खातेदार प्रार्थी संख्या 1 द्वारा बेचान के दौरान ग्राम एड अमरसिंह खसरा नम्बर 194 से बेचान के पश्चात नवसृजित खसरा नम्बर 194/2 कायम हुए। तथा बेचान मूल खसरा नम्बर 194 से 194/2 नवसृजित खसरा की तरमीन करते समय त्रुटिपूर्ण कर दी गई। प्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 194/2 रकबा 0.1618 हैक्टेयर ग्राम एड अमरसिंह की तरमीम मौके पर विद्यमान मौके अनुसार न होकर न होकर राजस्व कार्मिकों की भूल से विपरित स्थान खेत के दूसरे सेढे पर कर दी गई मौके पर कब्जा अंकित स्थान से बिलकूल विपरित कर गई जबकि प्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने के दोनो तरफ अपना खेत रखते हुए बीच भूमि का बेचान कर प्रार्थी संख्या 2 को कब्जा करवाया गया था। जिससे प्रार्थी संख्या 1 को अपने खेत में आने जाने की कोई समस्या न हो सके तथा प्रार्थी संख्या 2 के दोनो तरफ से ही अपने खातेदारी खेत 194 में सुविधानुसार उपयोग व उपभोग कर सके। प्रार्थी


अपरखण्ड अधिकारी
सिणधरी

सं. 1 व प्रार्थी सं. 2 के खातेदारी खेत के बीच में भारी भिन्नता है इस प्रकार राजस्व रेकॉर्ड में तरमीम व मौके की स्थिति में भारी भिन्नता होने से दोनो पक्षकारों को असुविधा हो रही है। सभी प्रार्थीगण सहमत है तथा मौके अनुसार तरमीम करवाना चाहते है। तहसीलदार सिणधरी ने भी अपनी मौका जांच रिपोर्ट में मौका स्थिति के अनुसार तरमीम दुरुस्त करने की अनुशंषा की गई है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है,कि विवादित भूमि के खातेदारान का मौके पर कब्जा काशत के अनुसार राजस्व रिर्कोर्ड नक्शा लटढा में तरमीम नहीं हो रखी है। जो प्रार्थी मौके पर कब्जा काशत के अनुसार रिर्कोर्ड में तरमीम दुरुस्त करवाने के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

6. लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा एड अमरसिंह पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा के खेत खसरा खसरा नम्बर 194 व 194/2 की विदयमान तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट पत्रांक 1914 दिनांक 04.09.2025 के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाते हैं, उक्त नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सिणधरी को तदनुसार राजस्व रिर्कोर्ड में तरमीम दुरुस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

(सर्वेश्वर निम्बार्क)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 19.02.2026 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी